पत्रांकः—वन भूमि—99 / 2018................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची—834002

पटना—15, दिनांक.........................

विषय :— सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के गाँधी चौक से नगरपालिका चौक के लिये प्रस्तावित फलाई ओवर निर्माण हेतु (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 2.41 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की अधिसूचना संख्या—190 (ई०) दिनांक—16.02.1994 एवं अधिसूचना संख्या—485 (ई०) दिनांक—15.04.1994 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 2.41 हे० वन भूमि अपयोजन एवं 240 वृक्षों के पातन की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :—

क्र०सं०	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	0.00—60 CM तक	60 CM से अधिक
1	37	203

विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.2 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्गत 2.41 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए FRA, 2006 प्रमाण—पत्र की मूल प्रति संलग्न है। परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 2.41 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 4.82 हे0 अर्थात 5.00 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को कैमूर वन प्रमंडल के अधौरा प्रक्षेत्र अन्तर्गत अधौरा (वनवासी सेवा केन्द्र के बगल में) PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त की गयी है, जो संलग्न है।

क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण—पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव का क्रमशः पार्ट—1, पार्ट—2, वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन, टोपो शीट, NPV Undertaking तथा पातित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 2.41 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 15,08,660/–(पन्द्रह लाख आठ हजार छः सौ साठ रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 2.41 हे० के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए कैमूर वन प्रमंडलन्तर्गत 5.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि अधौरा (वनवासी सेवा केन्द्र के बगल में) सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 22,44,774/– (बाईस लाख चौआलीस हजार सात सौ चौहत्तर रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1028/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
5. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर यथासम्भव 0.00–60 से०मी० तक के पौधों को Translocate किया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :–वन भूमि–99/2018....................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक..
प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–99/2018...59 (ई०)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...15/01/19...
प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

11/01/19
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-31